कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक- 18.03.2025

विषयः-दो नफर अभियुक्त चोरी के माल के साथ थाना लंका पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा कमिश्नरेट में चोरी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने एवं अपराधियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही किये जाने हेतु दिए गए आदेशों के अनुपालन में पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देशन में व अपर पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, कमिश्नरेट वाराणसी एवं सहायक पुलिस आयुक्त भेलूपुर के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी लंका के कुशल नेतृत्व में दिनांक 18.03.2025 को सामने घाट के पास से 02 नफर अभियुक्तगण 01. शिवप्रसाद गोंड पुत्र स्व0 नारायण प्रसाद गोंड निवासी ग्राम रसूलगढ़ थाना सारनाथ वाराणसी उम्र करीब 32 वर्ष, 02. जयप्रकाश देववंशी पुत्र लाल जी देववंशी निवासी ग्राम पैगंबरपुर पंचकोसी थाना सारनाथ वाराणसी उम्र करीब उम्र 32 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना विवरणः-

वादी मुकदमा की लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 0072/2025 धारा 305(1)/331(1)बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत करते हुए माल मुल्जिमान की बरामदगी एवं गिरफ्तारी के क्रम में लंका पुलिस टीम द्वारा चेकिंग व तलाश के दौरान दिनांक 18.03.2025 को चोरी के माल के साथ दो नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-पता-

01. शिवप्रसाद गोंड पुत्र स्व0 नारायण प्रसाद गोंड निवासी ग्राम रसूलगढ़ थाना सारनाथ जनपद वाराणसी उम्र करीब 32 वर्ष।

02. जयप्रकाश देववंशी पुत्र लाल जी देववंशी निवासी ग्राम पैगंबरपुर पंचकोसी थाना सारनाथ जनपद वाराणसी उम्र करीब 32 वर्ष।

गिरफ्तारी का दिनांक व घटनास्थल - दिनांक घटना 18.03.2025 को सामने घाट के पास, थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी।

विवरण बरामदगी-

अभियुक्तगण के कब्जे से मु0अ0सं0 0072/2025 थाना लंका, कमि0 वाराणसी से सम्बन्धित 40,000/- रूपये व एक अदद मोटर मोटरसाईकिल पल्सर अपराध में प्रयुक्त तथा 02 अदद मोबाइल फोन जामा तलाशी।

विवरण पूछताछ-

पकड़े गये अभियुक्तगण से कड़ाई से पूछने पर दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से बताया गया कि साहब पिछले महीने की 25 तारीख को हमने नेपुरा कला में एक साइबर कैफे में घुसकर 96500/रुपए नगद चुराए थे जिसके बाद हमने पैसों को आपस में बराबर बराबर 48000/रुपए बाट लिया था और 500/रुपए का इसी गाड़ी में पेट्रोल डलवाया था,तब से हम दोनों उन पैसों को अपनी जरूरत पर खर्च करते रहे है और यह जो पैसे अभी आपने हमारी जेब से बरामद किया है यह उन्हीं चुराए हुए पैसों में से हमारे खर्च किए जाने के बाद बचे हुए शेष पैसे है, मोबाइल के सम्बन्ध में पूछने पर दोनों के द्वारा मोबाइल फोन स्वयं का होना बताया गया। दोनों व्यक्तियों से बरामद वाहन पल्सर को चेक किए जाने पर वाहन में नंबर प्लेट नहीं है जिसके संबंध में दोनों से पूछने पर शिवप्रसाद के द्वारा बताया गया कि यह वाहन मेरा है जोकि मेरी माता जी के नाम से पंजीकृत है इसका प्रयोग मै चोरी में किया था इसीलिए मैं इसमें नंबर प्लेट नहीं लगाता हूँ। दोनो व्यक्तियों से उनके द्वारा की गई अन्य कोई चोरी के संबंध में पूछने पर दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से बताया गया कि हम दोनों ने बस यही चोरी की है,इसके अलावा और कोई चोरी नहीं की है। हमसे गलती हो गई है। हमे माफ कर दीजिए।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम

1. श्री शिवाकान्त मिश्र प्रभारी निरीक्षक थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ0नि0 श्री मनोज कुमार राजपूत थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी।
3. उ0नि0 श्री अपराजित सिंह चौहान थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी।
4. आरक्षी उमेश गुप्ता थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी।
5. आरक्षी सूरज, थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी।
6. आरक्षी पवन, थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी।
7. आरक्षी अमित शुक्ला थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी।
8. आरक्षी कृष्णकांत पाण्डेय, थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त कार्यालय
जोन-काशी कमिश्नरेट वाराणसी